भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1105
गुरुवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान यात्री कैफे का संचालन

1105. डॉ. शर्मिला सरकारः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में संचालित उड़ान यात्री कैफे की कुल संख्या कितनी है तथा उनका विमानपत्तन-वार और राज्य-वार विवरण क्या है;
(ख) क्या सरकार का अन्य विमानपत्तनों पर भी उड़ान यात्री कैफे का विस्तार करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) मॉडल के अंतर्गत संचालित विमानपत्तनों पर भी उड़ान यात्री कैफे कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों के लिए किफायती दरों पर भोजन एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): यात्रियों के लिए किफायती भोजन और पेय पदार्थों के विकल्पों की मांग को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित हवाईअड्डों सहित कई हवाईअड्डों पर उड़ान यात्री कैफे जैसे कम लागत वाले आउटलेट शुरू करने की पहल की गई है। उड़ान यात्री कैफे की सुविधा कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), अहमदाबाद (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (ओडिशा), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) और होलोंगी (अरुणाचल प्रदेश) हवाईअड्डों पर शुरू की गई हैं।

अन्य हवाईअड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' या इसी तरह के कम लागत वाले आउटलेट की शुरुआत, संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों के विवेक पर निर्भर है।

******